तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4765/2006/चुरू सुगनाराम बनाम नत्थूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 30.01.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, चुरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने उपखण्ड अधिकारी, सरदार शहर के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छाजूसर स्थित आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 13बीघा 02बिस्वा, 181 रकबा 14बीघा 16बिस्वा कुल रकबा 27बीघा 18बिस्वा भूमि के राजस्व अभिलेख में उसकी खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी सुगनाराम पुत्र गोविन्दराम द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। इस प्रार्थनापत्र को उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 2127 दिनांक 7–2–2005 से तहसीलदार, सरदार शहर को भिजवाते हुए जरिये पुलिस इमदाद अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया एवं बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26–09–2005 से बेदखली का आदेश पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने जिला कलक्टर, चुरू के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4765/2006/चुरू सुगनाराम बनाम नत्थूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31–03–2006 से अपील इनफ्क्चस / सारहीन होने पर इसी स्तर पर निस्तारित कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी विवादित भूमि पर पिछले 5 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधनियम की धारा 183–बी की समरी प्रोसिडिग्स के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 दोनों अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, जिन पर धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रापत्ति स्वीकार करते हुए यह मान लिया कि दोनों पक्षकार अनुसूचित जाति के होने से धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते तो जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त करना चाहिए था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपील को सारहीन होने से इसी स्तर पर निस्तारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उनके पक्षकार की राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया, जिसे तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना मानते हुए बेदखली का आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4765/2006/चुरू सुगनाराम बनाम नत्थूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित किया है। उनका कथन है कि धारा 183–बी का तात्पर्य यह है कि जहां कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो वह बेदखल कर अधिकारी है चाहे कब्जाधारी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो या स्वर्ण जाति का व्यक्ति वह बेदखल के योग्य होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 आरआरटी II पेज 1272 एवं 2009 आरआरटी II पेज 1060 वपर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने उपखण्ड अधिकारी, सरदार शहर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छाजूसर स्थित आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 13बीघा 02बिस्वा, 181 रकबा 14बीघा 16बिस्वा कुल रकबा 27बीघा 18बिस्वा भूमि के राजस्व अभिलेख में उसकी खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी सुगनाराम पुत्र गोविन्दराम द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। इस प्रार्थनापत्र को उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 2127 दिनांक 7–2–2005 से तहसीलदार, सरदार शहर को भिजवाते हुए जरिये पुलिस इमदाद अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी में दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया एवं बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26–09–2005 से बेदखली का आदेश पारित किया। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी कुभाराम, खेमाराम, नत्थूराम, बिडछीचन्द, प्रमेश्वरी, शान्ति पुत्र पुत्रियां माला कौम रेगर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4765/2006/चुरू सुगनाराम बनाम नत्थूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या–1 व उसके भाई व बहिनों की सहखातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाना प्रमाणित मानते हुए तहसीलदार, सरदार शहर ने बेदखली का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध तरीके से अनाधिकृत कब्जा करता है तो संक्षित कार्यवाही द्वारा अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर देकर बेदखल किये जाने एवं जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार धारा 183–बी का तात्पर्य यह है कि जहां कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लेता है, वह बेदखली का अधिकारी है चाहे कब्जाधारी अनुसूचित जाति का हो या गैर अनुसूचित जाति का, वह संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से बेदखली योग्य होगा। इसी आशय का सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में दोनों पक्षकारों के अनुसूचित जाति के पक्षकारान होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के प्रावधान लागू नहीं होना मानते हुए अपील को सारहीन होने से इसी स्तर पर निस्तारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4765/2006/चुरू सुगनाराम बनाम नत्थूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 31–03–2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, चूरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर तीन माह में आवश्यक रूप से करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे जिला कलक्टर, चुरू के न्यायालय में दिनांक 28–02–2020 को उपस्थित होकर अपील के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	